न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 15/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
पुखराज पुत्र गोपाराम जाति कुम्हार निवासी बू–नरावतां तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मुण्डवा, जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक: 07.10.2022

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 83/2022 सरकार बनाम पुखराज में निर्णय दिनांक 23.03.2022 के तहत मौजा बू नरावता की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.04.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 25.04.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 23.03.2022 की फोटोप्रति, नायब तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण संख्या 83/22 की फोटोप्रति, पुखराज के आधार कार्ड की फोटोप्रति तथा पट्टे की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– आदेश जैर अपील विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से विपरीत होने से प्रथम दृष्टया निरस्त होने योग्य है।

{2}(II)– अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एक पक्षीय रूप से अपीलाण्ट को बिना सुने, सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के विपरीत होने से आदेश जैर अपील खारिज होने योग्य है।

{2}(III)– पटवारी हल्का जनाणा के द्वारा जो आवेदन अपीलांट के खिलाफ पेश किया था उसमें अपीलाण्ट के खिलाफ झूठे आरोप लगाये थे क्योंकि इस आवेदन के साथ पटवारी की कोई मौका रिपोर्ट, फोटोग्राफ, किसी भी व्यक्ति की शिकायत आदि कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये थे और इन दस्तावेजो के अभाव में अपीलांट का खसरा नम्बर 362 गैर मुमकिन अंगोर की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के तथ्यो की पुष्टि प्रथम दृष्टया नहीं होती है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर जो मामला धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज किया वो इस आधार पर भी पूर्णतया गलत है। इसके अलावा उक्त अपूर्ण आवेदन व बिना साक्ष्य के ही प्रकरण को गलत, अनुचित व अवैध प्रकार से निर्णित किया जाना पूर्णतया विधिविरूद्व है जिससे भी आदेश जैर अपील खारिज होने योग्य है।

{2}(IV)– पटवारी के द्वारा आवेदन पेश होने के बाद अपीलांट की उपस्थिति के लिए नोटिस जारी करने पर अपीलांट के बिना किसी देरी के उसी दिन जवाब प्रस्तुत कर दिया था जिसमें स्पष्ट रूप से यह तथ्य उल्लेखित किये कि उसका कब्जा आबादी भूमि पर है जो ग्राम पंचायत बू–नरावतां के वार्ड नम्बर 2 में है। उपरोक्त तथ्य जवाब में उल्लेखित किये जाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः जांच रिपोर्ट व मौका रिपोर्ट तलब की जिसके बाद दिनांक 23.03.2022 को पटवारी के द्वारा एक जांच रिपोर्ट पेश की जिसमें स्वयं पटवारी ने यह तथ्य उल्लेखित किया कि अपीलांट से पटटा मंगवाकर जांच की जावे जिस रास्ते पर कब्जा किया वो पटटे में है या नहीं। इस प्रकार पटवारी की जो जांच रिपोर्ट आयी वो भी अधूरी थी इसके अलावा

अपर कलक्टर, नागौर

पटवारी ने किस तिथि को मौका देखा उसका कोई उल्लेख इस जांच रिपोर्ट में नहीं है यहां तक कि मौके पर जांच करने से पूर्व अपीलांट को किसी भी प्रकार की सूचना तक नहीं दी गई। पटवारी के द्वारा मौके पर जांच करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस देकर उसकी उपस्थिति में ग्राम पंचायत के द्वारा जारी पटटे, राजस्व नक्शा व जमावंदी तथा मौके की स्थिति के अनुसार मौके पर नापचौप करके मुस्तकिल पाइन्ट से भूमि की पेमाइश की जाती जबकि पटवारी के द्वारा मौके पर आकर आवेदन पेश करने से पहले और आवेदन पेश करने के बाद कोई नापचोप नहीं किया गया, अपीलांट को किसी भी प्रकार की सूचना तक नहीं दी गयी। उक्त जांच रिपोर्ट पटवारी के द्वारा कार्यालय में बैठकर मनमर्जी से तैयार की गयी है यदि वह मौके पर आकर जांच करता तो निश्चित रूप से मौके की स्थिति के संबंध में वास्तविक स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था परन्तु पटवारी ने दस्तावेजो को बिना कन्सीडर किये ही बिना किसी ठोस आधार के अपीलांट की कब्जासुद स्वामित्व की भूमि को खसरा नम्बर 362 का भाग बताकर जांच रिपोर्ट प्रेषित की है। इस प्रकार पटवारी की जांच रिपोर्ट उपर वर्णित बिन्दुओ के आधार पर मानने योग्य नहीं है और पटवारी ने जांच रिपोर्ट में गलत प्रकार से पट्टे की फोटोकोपी में मदनराम के बाडे का निकाल व गली गलत प्रकार से बतायी गयी है। पट्टे में पश्चिम में निकाल व गली नहीं है। जांच रिपोर्ट पूर्णतया रिकार्ड से विपरीत जाकर तैयार की गई है ऐसी जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमी माना जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस मौके रिपोर्ट के आधार पर जो आदेश जैर अपील पारित किया है वो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(V)– अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें अपीलांट को केवल मात्र पटवारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया है जबकि पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में कोई भी दस्तवेज प्रस्तुत नहीं हुआ था यहा तक कि पटवारी हल्का जनाणा के बयान भी दर्ज नहीं किये गये है और न ही अपीलांट को साक्ष्य सबूत का अवसर प्रदान किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी के आवेदन के आधार पर ही एक पक्षीय रूप से आदेश जैर अपील पारित किया है जो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(VI)– अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह कथन किया है कि अप्रार्थी/अपीलांट के जवाब को खारिज किया जाता है जबकि किसी भी पक्षकार के द्वारा प्रस्तुत जवाब पत्रावली का एक भाग होता है जिसके समर्थन में संबंधित पक्षकार साक्ष्य सबूत बचाव पेश करता है जवाब खारिज होने के संबंध में कानून में कोई प्रावधान नहीं है। उक्त आदेश में इस प्रकार से न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना ही साइक्लोस्टाइल टाइप से आदेश परित करना स्प्ष्ट करता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में प्रक्रिया व कानून के मूलभूत आज्ञापक प्रावधानो की अनदेखी की है। इस प्रकार आदेश जैर अपील कानूनन निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है जिससे भी आलोच्य आदेश खारिज होने योग्य है।

{2}(VII)–पटवारी के द्वारा जांच रिपोर्ट के साथ जो नक्शा नजरी तौर पर तैयार किया था वो नक्शा राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति के विपरीत जाकर मनमर्जी से तैयार किया है यदि मौके पर जाकर नजरी नक्शा तैयार किया जाता तो वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष प्रकट हो जाती परन्तु पटवारी की उक्त अपूर्ण, बिना नापचोप, बिना तारीख की उक्त रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय पारित किया गया है वो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(VIII)–पटवारी के द्वारा अपने आवेदन में यह कहीं पर भी खुलासा नहीं किया कि अपीलांट ने खसरा नम्बर 362 के किस दिशा में, किस प्रकार से भुजा और नाप के कितनी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है यहां तक कि जांच रिपोर्ट में भी इन सब तथ्यो को नजरअंदाज किया गया है। अपीलांट की पटटासुद स्वामित्व की आबादी भूमि की खसरा नम्बर 362 के मौके की स्थिति अनुसार कौनसी भूमि कहां पर लोकेट हो रही है इस संबंध में कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के द्वारा खसरा नम्बर 362 पर अनाधिकृत कब्जा करने के तथ्यो को गलत प्रकार से साबित माना है जिससे भी आलोच्य आदेश खारिज होने योग्य है।

{2}(IX)–अपीलांट की कब्जासुद स्वामित्व की जायगा ग्राम पंचायत बु–नरावतां (पूर्व ग्राम पंचायत जनाणा) के वार्ड नम्बर 2 में आबादी में स्थित है और अपीलांट की आबादी भूमि पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए पटवारी हल्का जनाणा को कोई अधिकार नहीं था और आबादी भूमि के संबंध के अपीलांट को वेदखल करने का क्षेत्राधिकार भी अधीनस्थ न्यायालय के पास नहीं था जिससे भी आलोच्य आदेश खारिज होने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(X)–आलोच्य आदेश की आड में राजस्व अधिकारियों ने अपीलांट के बाडे की पत्थरो की कच्ची दीवार जो कि आबादी भूमि में स्थित है, को मौके पर से हटाकर रास्ता खुला करने की मौका रिपोर्ट तैयार की है जो कि पूर्णतया गलत अनुचित व अवैध है जिससे भी आलोच्य आदेश खारिज होने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1974 पेज 443 से 444 तथा आरआरटी 2006 (1) पेज 661 से 663 नजीरे पेश की।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा बू–नरावता में स्थित गैर मुमकिन अंगोर पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके बू–नरावतां की राजकीय भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. अंगौर है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दि. 02.08.04 की अनुपालना में अंगौर भूमि पर पूर्व किए गए आवंटन/नियमन को निरस्त करवाए जाने हेतु रेफरेंस तैयार कर सम्बन्धित न्यायालयों में पेश भी किये जा रहे हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अंगौर किस्म की भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना निषेधित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर